प्रकाशनार्थ

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण

सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।

दूरभाषः–(0551) 2580010, 2580090 फैक्सः (0551) 2580020

निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकण द्वारा गीडा में सिविल कार्य हेतु "डी" एवं "सी" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आफ लाइन प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–बिड्स सिस्टम से दिनांक–25.08.2019 को पूर्वान्ह 11.00 .बजे से दिनांक–14.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आफ लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक–14.09.2019को अपरान्ह 4.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेंगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सीयल बिड खोलने की तिथि को अर्हता प्राप्त निविदाओं के आधार पर नोटिस बोर्ड/गीडा की बेबसाईट (www.gidagkp.org) पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी0एस0टी0 व लेबर सेस सहित (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी
1.	गीडा सेक्टर–22 ट्रांसपोर्टनगर में स्थित शुलभ शौचालय के सौन्द्रीकरण का कार्य।	7.84	0.784	(निविदा मूल्य +जी0एस0टी0) रू0 1180.00	06माह	'डी' एण्ड 'सी'

नोटः– बिड डाक्यूमेन्ट तथा समस्त विस्तृत शर्तों सहित निविदा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्रधिकरण (गीडा) गोरखपुर के साईट www.gidagkp.org पर दिखायी देगी । उक्त के अतिरिक्त दिनांक 13.9.2019 तक कोई भी शुद्धि होने पर शुद्धि पत्र गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साईट www.gidagkp.org पर अपलोड कर दी जायेगी।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर।

पत्रांकः– 1598/अभि0नि0–6/निविदा (सि0)/गीडा/2019–20/दिनांक 29/08 2019

प्रतिलिपि–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचनार्थ।
2– जन सम्पर्क अधिकारी/प्रबन्धक (सम्पत्ति) गीडा को एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र एवं एक अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
3– सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर वेब साइट www.gidagkp.org पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
4– निविदा समिति के सदस्यों को सूचनार्थ।
5– गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6– वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– प्रबन्धक (सिविल)/ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8– सम्बन्धित पत्रावली।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर।

कार्यालय गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण
सेक्टर–7, गीडा, गोरखपुर।
दूरभाषः–(0551) 2580010, 2580090 फैक्सः (0551) 2580020

निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकण द्वारा गीडा में सिविल कार्य हेतु "डी" एवं "सी" श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आफ लाइन प्रतिशत दर में अधोलिखित कार्य हेतु टू–बिड्स सिस्टम से दिनांक–25.08.2019 को पूर्वान्ह 11.00 .बजे से दिनांक–14.09.2019 को अपरान्ह 3.00 बजे तक आफ लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। प्रीक्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड दिनांक–14.09.2019को अपरान्ह 4.00 बजे गीडा कार्यालय में खोली जायेंगी एवं प्रीक्वालिफिकेशन में उपयुक्त पाये गये निविदादाताओं के फाईनेन्सीयल बिड खोलने की तिथि को अर्हता प्राप्त निविदाओं के आधार पर नोटिस बोर्ड/गीडा की बेबसाईट (www.gidagkp.org) पर सूचित किया जायेगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि (जी0एस0टी0 व लेबर सेस सहित (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	पंजीकृत श्रेणी
1.	गीडा सेक्टर–22 ट्रांसपोर्टनगर में स्थित शुलभ शौचालय के सौन्द्रीकरण का कार्य।	7.84	0.784	(निविदा मूल्य +जी0एस0टी0) रू0 1180.00	06माह	'डी' एण्ड 'सी'

नियम एवं शर्तें :–

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 अथवा नकद के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा तथा परफार्मेंश सिक्योरिटी/धरोहर धनराशि जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक हो एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैद्यता निविदा तिथि से 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाता को रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर नोटरी एफीडेविट कराते हुए सभी सूचनाएं निर्धारित प्रपत्रों पर संलग्न करना अनिवार्य है।

C) लोक निर्माण विभाग के शासनादेश संख्या–836/23–7–17–176(सा0)/06 दिनांक–08 जून, 2017 के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार टेण्डर/कार्यों में पारदर्शिता एवं शुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं माफिया गतिविधियों, गैंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलग्न हो, उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। जो व्यक्ति संगठित अपराधों अथवा असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो उसे भी ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रकिया में भाग लेना भी प्रतिबन्धित होगा साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लो0नि0वि0 अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैकलिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेगें और उन्हे कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार द्वारा इस सम्बन्ध में निविदा के साथ पृथक–पृथक शपथ पत्र (नोटरी एफिडेविट) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

D) निविदा हेतु समान प्रकृति का 01 कार्य निविदा मूल्य का 75 प्रतिशत धनराशि का विगत 3 वर्ष में अथवा वर्तमान वर्ष में सिंगल बाण्ड से पूर्ण किया होना अनिवार्य है, जिसका सन्तोषजनक ढंग से पूर्ण करने का अनुभव प्रमाण पत्र के प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

E) निविदादाता द्वारा विगत 5 वर्षों का वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम आगणन के 50 प्रतिशत धनराशि का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0टी0आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण, पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

F) निविदादाता द्वारा 10 प्रतिशत से अधिक के न्यूनतम दर अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत पर्फारमेन्स सिक्योरिटी नियमानुसार जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति जमानत धनराशि जब्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेंश सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।

G) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए। एक/समस्त निविदा को स्वीकार व अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

H) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।

I) निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात 24 माह के अन्दर कार्य में किसी प्रकार की कमीं पाये जाने पर कमीं को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

J) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुये संतोषजनक उत्तर देने पर समय बृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुये) अनुबन्धित धनराशि का 1 प्रतिशत अथवा अभियन्त्रण विभाग की संस्तुति के आधार पर नियमानुसार दण्ड शुल्क लगाते हुए समय वृद्धि का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।

K) अन्य नियम व शर्तें किसी भी कार्य दिवस में अभियन्त्रण अनुभाग में देखी व जा सकती हैं।

L) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नही होंगी।

M) ठेकदार द्वारा कराये गये मानकों के अनुसार कार्यों का समय–समय पर भुगतान किया जायेगा एवं पूर्व गठित तकनीकी जांच समिति के संस्तुति के पश्चात ही अन्तिम भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

N) निविदा द्वारा संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर निविदाकार को ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

O) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) नियमानुसार देय होगा।

P) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

Q) जी0एस0टी0 एवं अन्य करों की देयता नियमानुसार निविदादाता की होगी।

R) निविदादाता सम्पूर्ण आवश्यक प्रचलित दरों के दृष्टिगत निविदा की दरों को कोट करना सुनिश्चित करेंगे।

S) उपरोक्त के अतिरिक्त निविदाकार को लोक निर्माण विभाग एवं आई0टी0वी0 के नियम एवं शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर।

पत्रांकः– 1599 /अभि0नि0–6/निविदा (सि0)/गीडा/2019–20/दिनांक 24/08 2019

प्रतिलिपि–

1– अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा को सूचनार्थ।

2–सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) को निर्देशित किया जाता है कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर के वेब साइट www.gidagkp.org पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

3–गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

4–वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) गीडा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5–प्रबन्धक (सिविल) गीडा, को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(संजीव रंजन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
गीडा–गोरखपुर।